न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0––211/2016

प्रविष्टि दिनांक ––15.11.2016

उनवान

मन्जू पहाडिया पत्नी लडडूलाल पहाडिया जाति खटीक निवासी टी आर 39 सिविल लाईन टोंक

प्रार्थिया

बनाम

1. सूरजमल पुत्र चन्दा जाति बैरवा निवासी कस्बा शर्की टोंक हाल तेनात भारतीय खाद निगम एफ सी आई कार्यालय निवाई जिला टोंक
2. बालूराम मास्टर निवासी सदभावना नगर रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने दोलतराम एडवोकेट के सामने टोंक

अप्रार्थीगण–प्रतिपक्षीगण

उपस्थित–श्री ए0के0 अग्रवाल– अभिभाषक प्रार्थिया
श्री बसन्तीलाल चौधरी– अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2
श्री दौलत चौधरी– अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय
प्रार्थनापत्र बाबत–अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक– 10/1/18

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थिया वादिया ने अपने वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थिया की खातेदारी की भूमि ख.न. 6698 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा वाके कस्बा शर्की टोंक मे स्थित हैं। उक्त भूमि का प्रार्थिया के अलावा सहखातेदार पूनम देवी का 13/24 हिस्सा है और इस हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज है। प्रार्थिया ने न्यायालय हाजा में बंटवारे का दावा पेश किया था जिसके निर्णय मे बंटवारे के अनुसार प्रार्थिया के हिस्से मे 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि आती है और जो उक्त वाद मे जो अंतिम डिक्री किया गया है उसमे प्रार्थिया को 6698/2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि का खोतदार मानते हुए राजस्व रिकार्ड मे अलग खाता कायम किये जाने के आदेश दिये गये थे। प्रार्थिया का ख.न. 6698/2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा पर कब्जा है प्रतिवादी सं0 1 व 2 का उक्त विवादित भूमि से कोई संबधं नही है। प्रार्थिया की खातेदारी की भूमि के पूर्व दिशा की तरफ ख.न. 6696 स्थित है जिसमे बंटवारा हो गया है और प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से मे 4 बीघा 12 बिस्वा जमीन आई है उसके नये नंबर 7338/6696 डाल दिये गये है उक्त भूमि मे प्रतिवादी सं0 1 ने कॉलोनी काट दी और प्रार्थिया के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। आये दिन प्रार्थिया की भूमि मे मजाहमत करता है। प्रार्थिया के पास अन्य कोई रास्ता नही है। प्रतिपक्षीगण आये दिन प्रार्थिया के आने जाने काश्त करने मे मजाहमत करते है अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जावे कि वे किसी भी प्रकार से प्रार्थिया की उक्त भूमि मे कब्जेकाश्त मे मजाहमत नही करे। प्रार्थिया के खेत मे जाने जाने से नही रोके और मौके पर एवं राजस्व रिकार्ड की विवादग्रस्त खसरा नंबर की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थनापत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थिया ने यह स्पष्ट नही किया है कि ख.न. 6698 का कितना रकबा है और सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है। विवादित स्थल पर कोई रास्ता नही है। प्रार्थिया ने पूर्व खातेदार व शीट प्रस्तुत नही किया है। कौनसे हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

भूमि क्रय की है उल्लेखित नही है। किस तरफ रास्ता है विक्रय मे उल्लेख नही है। प्रार्थनापत्र नॉन ज्योईण्डर के आधार पर खारिज योग्य है। प्रार्थिया को बिना संपरिवर्तन कराये ही भू–खण्ड विक्रय किये है। प्रार्थिया को रास्ता प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2066–69, 2070–73, विक्रय पत्र, इकरारनामा,समर्पण नामा, तकासमा डिक्री, तकासमा रिपोर्ट मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा, कॉलोनी प्लान नक्शा, नक्शा ट्रेस, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थिया व अप्रार्थी ने अपने–अपने कथनो को दोहराया। बहस का प्रथक से विवेचन नही किया जा रहा है।

हमने प्रार्थनापत्र, जवाब प्रार्थनापत्र, एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। हक, अधिकार एवं रास्ते संबंधी निर्णय, साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर वाद निर्णय के समय तय किये जावेंगें। प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते को बंद कर दिया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस मे कोई रास्ता अंकित नही है। तहसीलदार की तकासमा रिपोर्ट अनुसार नक्शा ट्रेस मे कोई रास्ता अंकित नही है। प्रार्थिया की भूमि के पूर्वी ओर ख.न. 6696 अन्य खातेदारो की खातेदारी की भूमि है ना कि रास्ता, प्रार्थिया के कथन की पुष्टि नही होने के कारण प्रथम दृष्टया केस प्रार्थिया के पक्ष मे साबित नही है। प्रार्थिया के अंकितानुसार उसकी खातेदारी की भूमि के पूर्व दिशा की तरफ ख.न. 6696 स्थित है जिसमे बंटवारा के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से मे 4 बीघा 12 बिस्वा आई तथा नये नंबर 7338/6696 बने है, लेकिन उक्त तथ्यों की पुष्टि मे कोई साक्ष्य पेश नही किये गये है। साथ ही यह भी साबित नही किया है कि उक्त भूमि मे प्रतिवादी सं0 1 ने कॉलोनी काट दी और प्रार्थिया के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। चूंकि वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि कृषि भूमि है तथा प्रार्थिया द्वारा क्रय किये गये हिस्से के आस पास राजस्व रिकार्ड अनुसाार कोई रास्ता अंकित नही है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष मे नही है। राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थिया की भूमि व रास्ते की भूमि मे मध्य अन्य खातेदारो की भूमि है जिसके वह रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थिया को रास्ते हेतु निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिए। किसी भी साक्ष्य यह साबित नही है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थिया की खातेदारी मे मजाहमत की जा रही है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष मे नही है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र के तीनो घटक प्रार्थिया के पक्ष मे साबित नही होने के कारण प्रार्थनापत्र खारिज किया जाना उचित होगा।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भूमि ख.न. 6698/2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ग्राम कस्बा टोंक शर्की, तहसील टोंक साक्ष्य दस्तावेज के अभाव में सारहीन , भारहीन व विधि सम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर, मूल वाद मे शामिल हो।

निर्णय आज दिनांक 10/1/18. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
राज (राज.)

Scanned by CamScanner